मध्यप्रदेश विधान सभा
(चतुर्दश विधान सभा)

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

का

द्वादश प्रतिवेदन

(नवम्बर, 2002 सत्र से संबंधित)

(यह प्रतिवेदन 18 मार्च, 2016 को सदन में प्रस्तुत.)

विषय सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)	पृष्ठ संख्या (3)
1.	**समिति का गठन**	एक
2.	**प्रस्तावना**	दो
3.	**प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची**	तीन
4.	**विभागों के नाम:-**	
	(1) नगरीय विकास एवं पर्यावरण	1
	(2) वन	4
	(3) गृह(पुलिस)	5
	(4) पंचायत एवं ग्रामीण विकास	6
	(5) किसान कल्याण तथा कृषि विकास	12
	(6) ऊर्जा	13
	(7) चिकित्सा	15
	(8) जल संसाधन	16
	(9) स्कूल	18
	(10) सहकारिता	20
	(11) राजस्व	22
	(12) ग्रामोद्योग	29
5.	**(i) परिशिष्ट - 1 (विशेष टिप्पणी/अनुशंसा)**	30
	(ii) परिशिष्ट - 2 (निर्णीत प्रकरण)	31
	(iv) परिशिष्ट - 3 (नवम्बर, 2002 सत्र के पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित आश्वासनों की सूची)	32

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का गठन
(वर्ष 2015-16)

सभापति

1. श्री राजेन्द्र पाण्डेय.

सदस्यगण

2. श्री बालकृष्ण पाटीदार
3. श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
4. श्री सूबेदार सिंह रजौधा
5. श्री इन्दर सिंह परमार
6. श्री के.के.श्रीवास्तव
7. चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी
8. श्री चन्द्रशेखर देशमुख
9. श्री सुखेन्द्र सिंह बन्ना
10. श्री हरदीप सिंह डंग
11. श्री नीलेश अवस्थी.

विधान सभा सचिवालय

1. श्री भगवानदेव ईसरानी . . प्रमुख सचिव
2. श्री ए.पी.सिंह . . सचिव
3. श्री जी.के.राजपाल . . अपर सचिव
4. श्री बी.डी.सिंह . . उप सचिव
5. श्री आर.के.गुप्ता . . अवर सचिव
6. श्री सुरेश कुमार त्रिवेदी . . अनुभाग अधिकारी
7. श्री शिवप्रसाद बुन्देला . . अनुभाग अधिकारी.

प्रस्तावना

मैं, शासकीय आश्वासनों सम्बन्धी समिति का सभापति, समिति की ओर से प्राधिकृत होकर समिति का द्वादश प्रतिवेदन (चतुर्दश विधान सभा) सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

2. यह समिति मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 224(1) के अन्तर्गत 12 अगस्त 2015 को गठित की गई थी ।

3. इस प्रतिवेदन में नवम्बर, 2002 सत्र में विधान सभा में मा.मंत्रिगणों द्वारा सदन में दिये गये आश्वासनों को सम्मिलित किया गया है । वर्णित सत्र में मा.मंत्रियों द्वारा शासन के विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 318 आश्वासन दिये गये थे, जिनमें से 264 आश्वासनों का निराकरण द्वादश विधान सभा के विभिन्न प्रतिवेदनों में किया जा चुका है । इस प्रकार शेष 54 आश्वासनों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का परीक्षण कर विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव का मौखिक साक्ष्य लिया गया तथा विचारोपरान्त आश्वासनों को इस द्वादश प्रतिवेदन में शामिल करने का निर्णय लिया गया ।

4. आश्वासनों की अभिपूर्ति हेतु मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी परिपत्रों का विभागों द्वारा पालन नहीं किये जाने से कई विभागीय आश्वासनों की अभिपूर्ति लगभग 14 वर्ष बाद भी नहीं हो पाई है । संसदीय कार्य नियमावली के अध्याय 8 (आश्वासन) की कण्डिका 8.5(4) अनुसार आश्वासनों के संबंध में आश्वासन पंजी का विभाग द्वारा न तो संधारण किया जा रहा है और न ही पंजी मंत्री जी के अवलोकनार्थ भेजी जा रही है. समिति इस पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करती है तथा अपेक्षा करती है कि संसदीय कार्य नियमावली का पालन किया जाकर लंबित आश्वासनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर उनका समय सीमा में निराकरण किया जायेगा ।

5. समिति की बैठक दिनांक 17 मार्च, 2016 में इस प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार कर अनुमोदित किया गया ।

6. समिति विधान सभा सचिवालय के प्रमुख सचिव/सचिव एवं संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों, विभागीय अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों तथा जिन्होंने समिति के कार्यों में सहयोग प्रदान किया, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करती है ।

स्थान :- भोपाल
दिनाक:- 17 मार्च, 2016

राजेन्द्र पाण्डेय
सभापति
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची

क्र.	विभाग का नाम	आश्वासन क्रमांक
1.	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	03, 07, 13, 16, 25, 74
2.	वन	29, 40
3.	गृह(पुलिस)	50
4.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	65, 119, 121, 122, 123, 125, 126, 129, 135, 136, 138
5.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	104, 110
6.	ऊर्जा	179, 183, 186, 189
7.	चिकित्सा	172
8.	जल संसाधन	100, 241, 244, 245, 248, 249, 250
9.	स्कूल	210, 213, 219, 221, 222
10.	सहकारिता	251, 252
11.	राजस्व	284, 286, 287, 289, 292, 296, 297, 300, 303, 305, 306, 307
12.	ग्रामोद्योग	271

नवम्बर, 2002 सत्र
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	03	ध्यानाकर्षण सूचना दि. 13.11.2002	1. जबलपुर नगर की पुरानी पाईप लाईन को बदलने की अवधि। 2. तथा बूचड़ खाने को अन्यत्र हटाया जाना। 3. स्वास्थ्य अधिकारी को तत्काल हटाया जाना।	1. मैं नगर निगम को निर्देशित कर दूंगा कि अतिशीघ्र उसे बदल दिया जाए। 2. तत्काल निर्देशित कर देता हूँ कि तत्काल टेण्डर बुलाऐं। 3. उस बूचड़ खाने का प्रस्ताव पास नहीं किया तो हम कमिश्नर को निर्देशित करेंगे कि उसको वहां से हटाएं। 4. यदि अधिकारी ठीक नहीं है तो उसका स्थानांतरण करके अच्छा अधिकारी वहां पर ला देगें। 5. कमिश्नर रेवन्यू जबलपुर से इसकी जांच एक माह में करवा देते हैं। अगर कोई दोषी पाया गया तो जो उचित कार्यवाही हो सकती है, की जाएगी।	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय अर्बन रिन्युवल मिशन जैसी महत्वकांक्षी योजना प्रारंभ हो जाने के कारण वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **6136/2008/18-1, दिनांक 17.07.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.
2.	07	परि.अता.प्र.सं.40 (क्र.1501) दि. 15.11.2002	नगर निगम उज्जैन द्वारा रैन बसेरा में स्थापित जोन कार्यालय को हटाकर पुन: रेन बसेरा को प्रारंभ किया जाना।	भवन निर्माण उपरांत रैन बसेरा प्रारंभ हो सकेगा।	नवीन भवन तैयार हो गया है। इस भवन की साज-सज्जा के बाद जोन कार्यालय इस भवन में स्थापित कर रैन बसेरा प्रारंभ हो जायेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **1953/2008/18-1, दिनांक 30.04.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	13	ध्यानाकर्षण सूचना दि. 22.11.2002	करैरा सी.एम.ओ. के विरूद्ध गबन के आरोप में न्यायालय में प्रकरण लंबित होने के बाद भी उन्हें पद से न हटाये जाने का कारण।	1. उस प्रक्रिया में गुजरने के बाद निश्चित रूप से यह कार्यवाही की जायेगी। 2. हम आश्वस्त कर रहे है कि पदोन्नति से पदावनत करने के लिये जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुये कार्यवाही की जायेगी। 3. उस प्रक्रिया को अपनाकर ही कार्यवाही करेगें। 4. हम कोशिश करेंगे कि एक महीने के अंदर निर्णय हो जाये। 5. मान. उपाध्यक्ष महोदय के निर्देश इसको आप एक महीने में कर दीजिये।	श्री रामनिवास शर्मा, सीएमओ (तत्कालीन) नगर पंचायत करैरा जिला शिवपुरी जब लेखापाल के पद पर नगर पंचायत पिछोर में पदस्थ थे तत्समय उनके द्वारा रूपये 14910/- का प्रभक्षण करने पर उनके विरूद्ध पिछोर न्यायालय में आपराधिक प्रकरण क्र. 135/81 प्रचलित है, इस बीच श्री शर्मा, को पदोन्नति सी.एम.ओ. (श्रेणी ग) के पद पर की गई है, इस बारे में प्रकरण में उन्हें पदावनत करने का अंतिम निर्णय लिया गया है। इस बारे में उनके सूचना पत्र दि. 12.04.04 को जारी किया जाकर उनका उत्तर प्राप्त किया जा रहा है तत्पश्चात गुण-दोष के आधार पर लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त कर पदावनत की कार्यवाही की जायेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 11/05/18-1, दिनांक 17.05.2004** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रं. 20874/वि.स./आश्वा./2013 दि. 18.10.2013 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***श्री राम निवास शर्मा तत्कालीन सी.एम.ओ. नगर पंचायत करैरा को पदोन्नत करने के संबंध में की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।**	**परिशिष्ट-1 के अनुसार**
4.	16	परि.अता.प्र.सं.42 (क्र.2516) दि. 25.11.2002	नगर पालिका इटारसी में पदस्थ जन संपर्क अधिकारियों के वेतन का निर्धारण एवं अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली।	प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के आदेश क्रमांक 7/22/08/09/एक/3017 दिनांक 11.03.10 द्वारा श्री सुरेश दुबे, जनसंपर्क अधिकारी नगर पालिका इटारसी का दिनांक 01.01.87 से वेतनमान रूपये 2000-3500 में, दिनांक 01.07.95 से वेतनमान रूपये 2200-4000 में, दिनांक 01.01.96 से वेतनमान रूपये 8000-13500 में तथा दिनांक 01.01.2006 से म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अंतर्गत वेतनमान रूपये 15600-39100+5400 ग्रेड पे में वेतनमान निर्धारण किया गया है। श्री दुबे को अधिक भुगतान की राशि रूपये 70,716=00 की वसूली कर ली गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **3645/3979/2011/18-1, दिनांक 03.11.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	25	अता.प्र.सं.44 (क्र.2236) दि. 25.11.2002	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, पन्ना द्वारा नगर पालिका परिषद, पन्ना में पदस्थ राजस्व निरीक्षक श्री ओ.पी. मिश्रा का वेतनमान कम करने संबंधी प्रकरण की जांच एवं दोषी के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच उपरांत कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण की जांच संभागीय उप संचालक, सागर से करायी गई। जांच प्रतिवेदन में श्रीमती शांति पाण्डे, तत्का. मुख्य नगर पालिका अधिकारी को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। श्रीमती पाण्डे के विरूद्ध विभागीय जांच का निर्णय लेते हुए आरोप पत्र जारी किए गए। श्रीमती पाण्डे से दिनांक 04.07.2012 को अधिरोपित आरोपो के संबंध में प्रतिवाद उत्तर प्राप्त हुआ। विभागीय कार्यवाही प्रचलित है जिससे 6 माह से अधिक समय लगने की संभावना है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **11-126/2002/8-1, दिनांक 05.10.2012** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रं. 20874/वि.स./आश्वा./2013 दि. 18.10.2013 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- प्रकरण के निराकरण में लगभग 13 वर्ष का समय बीत चुका है। श्रीमती शांति पाण्डे के विरूद्ध जांच कब संस्थित की गई और जांच कब पूर्ण हुई आरोप पत्र कब जारी किए गए, प्रकरण के निराकरण में असाधारण विलंब के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण कर प्रकरण की अद्यतन जानकारी। **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।**	**परिशिष्ट-1 के अनुसार**
6.	74	अता.प्र.सं.13 (क्र.1317) दि. 25.11.2002	नरसिंहपुर जिले में शौचालय के निर्माण कार्यों में की गई अनियमितताओं संबंधी शिकायतों पर कार्यवाही।	प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तथा उसके निष्कर्ष पर कार्यवाही संभव हो सकेगी।	नरसिंहपुर जिले की नगर पालिका गाडरवारा के निरंजन वार्ड में सुलभ शौचालय के निर्माण के संबंध में कार्यपालन यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर संभाग द्वारा जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। जिसमें श्री राधेश्याम जायसवाल, तत्कालीन अध्यक्ष का स्वर्गवास हो चुका है। उपयंत्री श्री जी.एस. चंदेल को दोषी पाये जाने पर इन्हें परिनिंदा की शास्ति से दण्डित किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **1896/2895/10/18-3, दिनांक 10.04.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.

नवम्बर, 2002 सत्र
वन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	29	ता.प्र.सं.25 (क्र.52) दि. 07.11.2002	पश्चिम सीधी वनमण्डल में पात्र तेंदुपत्ता गार्डों का नियमितीकरण किया जाना।	जांच के उपरांत निर्णय लिया जावेगा।	समय पर नियमितीकरण की कार्यवाही न करने के संबंध में वन मण्डल स्तरीय चयन समिति के सदस्य सहायक वन संरक्षकों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर आगामी कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 13/2/2002/10-1, दिनांक 06.07.2005** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 22410/वि.स./आश्वा./2005, दिनांक 06.10.2005 एवं पत्र दिनांक 20.11.2005, 22.03.2006, 29.08.2007 द्वारा पूर्ण/अद्यतन जानकारी चाही गई। लगातार पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक जानकारी अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
8.	40	परि.ता.प्र.सं.31 (क्र.3251) दि. 29.11.2002	बालाघाट जिले के लॉजी तहसील के वन समिति के अध्यक्ष एवं सचिव के विरूद्ध अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही।	जांच के परिणामों के गुण-दोष पर विचार कर कार्यवाही की जावेगी।	प्राप्त शिकायत की जांच उ.व.मं.अ. लॉजी सामान्य उपमंडल द्वारा कराई गई। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में वन सुरक्षा समिति की बैठक न बुलाये जाने की शिकायत तथ्यात्मक नहीं पाई। कराये गये कार्य संतोषजनक पाये गये। समिति के रोकड़ पुस्तिका में समस्त प्रमाणकों का समायोजन नहीं किया गया था जिसके कारण राशि अध्यक्ष एवं सचिव के पास शेष पाई गई। जो कि निस्तार प्रकृति की है तथा उस पर कार्यवाही भी की गई है। सचिव/वीटगार्ड अंधियाटोला को हटाने के आदेश व.मं.अ. दक्षिण बालाघाट (सामान्य) के आदेश क्रमांक/765 दिनांक 11.11.02 के द्वारा जारी किये जा चुके है। विभाग द्वारा दिये गये आश्वासन पर समुचित कार्यवाही की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ -22-326/2002/10-2, दिनांक 02.06.2003** विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्र.14504/वि.स./आश्वा./2005, दिनांक 07.07.2005 एवं पत्र दिनांक 29.08.2007, 13.04.2011, 24.11.2012, 30.04.2013 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***वन समिति अध्यक्ष/सचिव के द्वारा भ्रष्टाचार व अनियमितता की जांच की जानकारी।*** लगातार पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक जानकारी अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

नवम्बर, 2002 सत्र
गृह(पुलिस) विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	50	अता.प्र.सं.41 (क्र.1937) दि. 16.11.2002	ग्वालियर के दलित युवक को पेट्रोल से जलाये जाने संबंधी प्रकरण पर राहत राशि प्रदान किया जाना।	राहत प्रकरण तैयार कर जिला संयोजक कार्यालय भेजा गया जिस पर निर्णय के बाद भुगतान किया जावेगा।	थाना ग्वालियर के अप.क्र. 853/02 धारा 307, 436, 294, 34 ताहि तथा 3(2)5 अजा/जजा अधि. में पीड़ित व्यक्ति प्रभुदयाल पुत्र काली चरण माहौर निवासी बिरला नगर को राहत राशि वितरित किये जाने के संबंध में जानकारी जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग ग्वालियर से प्राप्त की गई जिसके अनुसार पीड़ित व्यक्ति को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित कम्पू, लश्कर, ग्वालियर के माध्यम से 10,000/- रू. डी.डी. एवं 40,000/- रूपये एफडीआर कुल राशि 50,000/- रूपये दिनांक 26.12.2002 को वितरित की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 4707/2982/2011/बी-1/दो, दिनांक 21.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.

नवम्बर, 2002 सत्र
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	65	ध्यानाकर्षण सूचना दि. 08.11.2002	नीमच जिले की जवासा नौरदिया कलां अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कार्य कराने वाले ठेकेदारो द्वारा मुरम एवं पत्थरों की अवैध खुदाई रोकने एवं रॉयल्टी की राशि जमा कराई जाना।	जमा करवाई जायेगी।	शिवा कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. अजमेर द्वारा जवासा बोरदियाकला, जिला नीमच मार्ग की रायल्टी की राशि जमा करवा दी गई है। जिसकी रायल्टी क्लीयरेंस प्रमाण पत्र कलेक्टर(खनिज) जिला नीमच ने उनके पत्र क्रमांक 521/खनिज/रायल्टी/ 03, दिनांक 21.04.03 द्वारा जारी किया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 10465/22/वि-12/ग्रा.स.वि.प्रा./टी-6/वि.स.आ./65/02 दिनांक 19.04.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.
11.	119	अता.प्र.सं.796 दि.08.11.2002	विधान सभा क्षेत्र खातेगॉव की ग्राम पंचायत दुधवास द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच एवं दोषी के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कन्नौद के न्यायालय में कार्यवाही प्रचलित हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक – 7069/22/वि-12/वि.स./2011, दिनांक 20.05.2011** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्र.23185/वि.स./आश्वा./2012, दि.23.11.2012 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई:- ***खातेगांव के ग्राम पंचायत दुधवास द्वारा की गई अनियमितताओं के दोषियों पर कार्रवाई की अद्यतन स्थिति।*** लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।	**परिशिष्ट-1 के अनुसार**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	121	अता.प्र.सं.32 (क्र.1186) दि. 15.11.2002	ग्राम पंचायत नगवाडा जिला होशंगाबाद में तालाब गहरीकरण कार्य में हुए भ्रष्टाचार की जांच एवं उस पर कार्यवाही।	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों से पुनर्मूल्यांकन की जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	ग्राम पंचायत नगवाड़ा, विकास खण्ड बनखेडी, जिला होशंगाबाद में राशि रूपये 1,34,100.00 की लागत से तालाब गहरीकरण का कार्य स्वीकृत किया गया था। जिसका सत्यापन अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पिपरिया द्वारा रू. 1,21,239/- किया गया एवं इस के आधार पर कार्य एजेंसी को रू. 1,06500/- का भुगतान किया गया शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा उक्त निर्माण कार्य की जांच कार्यपालन अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा होशंगाबाद से कराई गई। जांच अधिकारी द्वारा जांच उपरांत उक्त निर्माण कार्य का मूल्यांकन रूपये 69,911/- प्रतिवेदित किया गया। प्रतिवेदन अनुसार उपयंत्री द्वारा तालाब गहरीकरण में मिट्टी की खुदाई की स्वीकृत दर रूपये 19.85 प्रति घनमीटर के स्थान पर रूपये 30.64 प्रति घनमीटर के मान से मूल्यांकन किया गया। तालाब के अंदर लगाई गई खंतियों का मापांकन करने पर उल्लेखित मिट्टी की खुदाई करने पर उल्लेखित मिट्टी खुदाई की मात्रा में लगभग 36 प्रतिशत का अंतर पाया गया। इस प्रकार उपयंत्री द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर कार्य ऐजेन्सी को रूपये 36,589 का अधिक भुगतान हुआ। श्री एस.एस. गोहिल द्वारा किए गए निर्माण कार्य के गलत मूल्यांकन से शासन को राशि रूपये 36,589/- की आर्थिक क्षति हुई जिसके लिए श्री गोहिल दोषी पाए जाने से उनके इस कदाचरण के लिए म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-10(तीन) के अंतर्गत शासन को पहुंचाई आर्थिक क्षति रूपये 36,589/- की वसूली श्री एस.एस. गोहिल पर अधिरोपित की जाकर राशि उनके वेतन से किए जाने हेतु कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, होशंगाबाद को निर्देश दिए गये। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-15-233/2002/22/पं-2, दिनांक 22.07.2005** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 22409/वि.स./आश्वा./2005, दिनांक 06.10.2005 एवं क्रमश: पत्र दिनांक 22.03.2006, 19.09.2007, 20.04.2011, 06.09.2011, 23.11.2012, 29.04.2013 के माध्यम से अधोलिखित अनुसार अद्यतन जानकारियां चाही गई थी :- ***(1) निर्देशों का पालन हुआ या नहीं? पूर्ण अद्यतन जानकारी।*** ***(2) श्री एस.एस.गोहिल उपयंत्री से राशि की वसूली की अद्यतन स्थिति।*** ***(3) शासन को पहुंचाई आर्थिक क्षति की वसूली श्री गोहिल के वेतन से किये जाने के निर्देश के पश्चात् इस संबंध में वसूली की अद्यतन स्थिति? यदि वसूली समय पर नहीं हुई हो तो विलंब***	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					के कारणों और विलंब के दोषियों की जानकारी। ***(4) शासन को पहुंचाई आर्थिक क्षति की वसूली श्री गोहिल के वेतन से किये जाने के निर्देश के पश्चात् इस संबंध में वसूली की अद्यतन स्थिति? यदि वसूली समय पर नहीं हुई हो तो विलंब के कारणों और विलंब के दोषियों की जानकारी।*** तदुपरांत विभाग द्वारा अधोलिखित अनुसार जानकारी उपलब्ध कराई गई :- ग्राम पंचायत नगवाड़ा जिला होशंगाबाद में तालाब गहरीकरण कार्य में हुए भ्रष्टाचार की जांच में दोषी पाये गये तत्कालीन सरपंच/सचिव के विरूद्ध थाना बनखेड़ी में अपराध क्र. 128/02(भारतीय दण्ड संहित की धारा 420, 409, 467, 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई) उक्त प्रकरण में थाना बनखेड़ी द्वारा विवेचना कर प्रकरण माननीय न्यायायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पिपरिया के न्यायालय में प्रकरण क्र. 194/05 पर प्रचलित है। प्रकरण में साक्षियों के कथन हो चुके है तथा आगामी प्रक्रिया प्रचलित है। **विभागीय पत्र क्रमांक -** **777/MGNREGS-MP/NR-11/वि.स./2016, दि. 22.01.2016**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.	122	अता.प्र.सं.39 (क्र.1470) दि. 15.11.2002	सीहोर जिले की इछावर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिशनखेड़ी, रामदासी, बोरदीकलां के नियम विरूद्ध किये गये कार्यों की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच पूरी होने के उपरांत ही नियमानुसार कार्यवाही संभव है।	1. ग्राम पंचायत बिशनखेड़ी के सरपंच के विरूद्ध निर्माण कार्यों की राशि रूपये 3315 वसूल की गई है। 2. रामदासी के पूर्व सरपंच श्री रतनसिंह को निर्माण कार्यों की राशि के दुरूपयोग के कारण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) इछावर द्वारा आदेश पृ.क्रं./63/आर/04 द्वारा म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा (40) (1) के अंतर्गत पद से हटा दिया गया है तथा निर्माण कार्यों की राशि रू. 17359/- रूपये दिनांक 05.08.2005 को वसूल की जाकर जमा करा दी गई है। 3. ग्राम पंचायत बोदरीकलां के सरपंच को पद से पृथक कर दिया गया है। अचल संपत्ति की नीलामी किये जाने के बाद चालान क्रं. 103 दिनांक 22.05.2008 के द्वारा जमा करा दी गई है। इनके पास चल एवं अचल संपत्ति नहीं होने के कारण शेष राशि वसूल नहीं की जा सकती है? **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 10-129/2011/22/पं-1, दिनांक 21.10.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.
14.	123	परि.अता.प्र.सं.26 (क्र.2275) दि. 25.11.2002	ग्राम पंचायत झरकुआ विकासखंड गुन्नौर के सरपंच के विरूद्ध कार्यवाही।	गठित टीम की रिपोर्ट प्राप्ति होने के पश्चात गुण दोषों के आधार पर संभव हो सकेगा।	प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी रा.गुन्नौर के न्यायालय में प्रचलित था। नायब तहसीलदार अमानगंज के प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण में रू. 267324 के वसूली के आदेश 23.07.2003 को जारी किये तथा पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 एक के तहत पद से पृथक किया गया। श्री ओमप्रकाश अहिरवार द्वारा अपील अपर कलेक्टर महोदय पन्ना के न्यायालय में की गई। जिसके निर्णय दिनांक 17 मई 2004 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 23.07.2003 को निरस्त करते हुये प्रकरण को पुन: गुण-दोष के आधार पर पुनर्विचार हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुन्नौर द्वारा गठित टीम को रिपोर्ट एवं प्रकरण में गुण दोष के आधार पर दिनांक 20.08.2008 को पारित निर्णय में प्रकरण समाप्त किया गया। वर्तमान में तत्कालीन सरपंच श्री ओम प्रकाश के विरूद्ध कोई वसूली एवं अन्य कार्यवाही प्रचलित नहीं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ15-54/2014/22/पं-2, दिनांक 29.12.2014**	कोई टिप्पणी नहीं.
15.	125	परि.ता.प्र.सं.46 (क्र.2619) दि. 25.11.2002	देवास जिले के अपूर्ण कुओं को पूर्ण किया जाना।	अपूर्ण कुओं की संपूर्ण ग्रामीण योजना (प्रथम स्त्रोत) राशि से कार्य पूर्ण कराये जाएंगे।	84 कूप पूर्ण कर लिये गये, 10 कूप असफल घोषित करने, 17 कूप कपिल धारा योजना से पूर्ण कराने तथा 60 कूपों में हितग्राहियों से की गई राशि की वसूली आर.आर.सी. के माध्यम से कराने की कार्यवाही जारी है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **1342/22/वि-7/वि.स/09, दिनांक 03.02.2009**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16.	126	अता.प्र.सं.03 (क्र.770) दि. 25.11.2002	ग्राम पंचायत महाराजपुर के सरपंच द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच तथा दोषी के विरूद्ध कार्यवाही।	प्रकरण में सुनवाई पूर्ण होने के पश्चात ही विधि अनुसार कार्यवाही संभव है।	विहित प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जबलपुर के न्यायालय में गतिशील प्रकरण 11/अ-89/9/01-02 के द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत महाराजपुर जनपद पंचायत पनागर के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 16.11.04 के द्वारा सरपंच पद से पृथक कर रूपये 74,363.75 जमा करने का आदेश जारी किये गये हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-15-241/02/22/पं/12, दिनांक 24.12.2004** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 15015/वि.स./आश्वा./2005, दिनांक 14.07.2005 एवं पत्र दिनांक 22.03.2006, 29.04.2013 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***पृथक किये गये सरपंच से अभी तक कितनी राशि जमा कराई जा चुकी है तथा रसीद भी उपलब्ध कराये। यदि राशि अभी जमा नहीं हुई तो उसका कारण दें।*** लगातार पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक जानकारी अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
17.	129	ता.प्र.सं.13 (क्र.658) दि. 08.11.2002	प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत रेगांव विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न अधूरे कार्यों का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की अवधि।	निश्चित रूप से इसको समय सीमा में ही काम करा दिया जाएगा।	रैगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पैकेज क्रमांक एम.पी.5001 के 5 मार्गों के कार्य को 30.03.2006 पैकेज क्रमांक एम.पी. 3403 के 2 मार्गों के कार्य को 27.12.2004 एवं पैकेज क्रमांक एम.पी. 3404 के 2 मार्गों के कार्य का 28.04.2004 को पूर्ण किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **9403/22/वि12/ग्रासविप्रा/ 129/11-02, दि.02.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.
18.	135	ता.प्र.सं.08 (क्र.3084) दि. 25.11.2002	जनपद पंचायत मुरैना के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों को चालू किया जाना।	11 कार्य प्रारंभ होना शेष है शीघ्र ही प्रारंभ करा दिया जावेगा।	11 निर्माण कार्यों में 02 निर्माण कार्य निरस्त किये गये, शेष 9 कार्य प्रारंभ करा दिये गये हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **11413/22/वि-7/ग्रारो/04, दिनांक 07.11.2004**	कोई टिप्पणी नहीं.
19.	136	ता.प्र.सं.13 (क्र.3122) दि. 25.11.2002	मेहगांव (भिण्ड) में ग्रामीण विकास के अधूरे कार्य को पूर्ण किया जाना।	यथासंभव शीघ्र।	जनपद पंचायत मेहगांव जिला भिण्ड में वर्ष 2001-02 के 58 एवं 2002-03 के 181 सभी अपूर्ण कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **1253/22/वि-7/ग्रारो/05, दिनांक 29.01.2005**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20.	138	परि.अता.प्र.सं.33 (क्र.2333) दि. 25.11.2002	जनपद पंचायत कराहल में परियोजना के पद पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच एवं दोषी के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच उपरांत दोषी पाये जाने पर कार्यवाही की जावेगी।	वाटरशेड अधवाड़ा, जनपद पंचायत, कराहल के परियोजना अधिकारी श्री पी.एल.पाराशर, वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की जांच दल द्वारा जांच कराई गई। जांच के आधार पर श्री पाराशर से रू. 1,69,018/- के रिकवरी का नोटिस जारी किया गया। इस प्रकार इनसे उक्त राशि की वसूली करने की कार्यवाही जारी है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **1079/848/22/वि-4/2003, दिनांक 22.05.2003** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र दिनांक 17.06.2003 से लगातार पत्राचार किये जाने के पश्चात् भी अद्यतन जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

नवम्बर, 2002 सत्र
कृषि विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21.	104	परि.अता.प्र.सं.28 (क्र.995) दि. 22.11.2002	1. कृषि उपज मण्डी समिति कटनी के तत्कालीन सचिव, भारसाधक अधिकारी, श्री के.सी. मिश्रा द्वारा दूरभाष क्रमांक 53550 के लिए दुरूपयोग की जांच। 2. श्री मिश्रा द्वारा टेलीफोन के बिलों के भुगतान एंव मण्डी की जीप का दुरूपयोग कर किराया जमा न करने में तत्कालीन अधिग्रहण कर्ता भारसाधक अधिकारी एस.डी.एम. के संबंध में मण्डी बोर्ड मुख्यालय को की गई शिकायत पर कार्यवाही।	1. जी हां, जांच प्रक्रियाधीन है। 2. जांच उपरांत ही संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।	प्रकरण में प्राथमिक जांच कराई जाने के पश्चात सामान्य प्रशासन विभाग स्तर से आरोप पत्र आदि जारी कर स्पष्टीकरण प्राप्त किया। परीक्षण उपरांत सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 04.11.04 द्वारा तत्कालीन भारसाधक अधिकारी श्री के.सी. मिश्रा को दोषमुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच का प्रकरण समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – डी-10-357/2002/14-3, दिनांक 06.05.2013**	कोई टिप्पणी नहीं.
22.	110	ध्यानाकर्षण सूचना दि. 20.11.2002	कृषकों को उनकी च्वाईस की खाद उपलब्ध कराई जाना।	मैं सहकारिता मंत्री जी से अनुरोध करूंगा वे इस संबंध में कार्यवाही करेंगे।	संचालनालय कृषि म.प्र. भोपाल के पत्र दिनांक 15.03.04 द्वारा समस्त जिलों के उप संचालक कृषि को निर्देश दिये गये। कृषकों को उनकी च्वाईस की खाद उपलब्ध हो रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक – बी-10-131/2002/14-2, दिनांक 13.06.2013**	कोई टिप्पणी नहीं.

नवम्बर, 2002 सत्र
ऊर्जा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23.	179	परि.अता.प्र.सं.05 (क्र.109) दि.13.11.2002	मुरैना जिले में बंद पड़ी विद्युत सप्लाई को चालू किया जाना।	(क) उत्तर में उल्लेखित ग्रामों की बंद पड़ी विद्युत सप्लाई का ट्रांसफार्मर व खम्बे आदि बदलकर चालू करना संभव होगा।	(1) प्रश्नाधीन अवधि में जले, खराब 22 नंबर ट्रांसफार्मर जो बदले जाने शेष थे, में से 14 नंबर ट्रांसफार्मरों को बदल दिया गया है। शेष 8 नंबर ट्रांसफार्मर से संबंधित उपभोक्ताओं पर शतप्रतिशत बकाया राशि होने के कारण कनेक्शन स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिये गये है। (2) इसी प्रकार 14 ग्रामों के ट्रांसफार्मरों की बाइण्डिंग एवं तेल चोरी के प्रकरणों में से 8 ट्रांसफार्मरों को लगा दिया गया है। शेष 6 नंबर ट्रांसफार्मरों से संबंधित उपभोक्ताओं पर शतप्रतिशत बकाया राशि होने के कारण स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिये गये हैं। (3) जिन 9 ग्रामों की विद्युत लाइन विच्छेदित कर ट्रांसफार्मर उठा लिये गये थे, उनमें से 3 ग्रामों की लाइन का विद्युत प्रवाह ट्रांसफार्मर स्थापित कर चालू कर दिया गया है। शेष 6 ग्रामों के विद्युत उपभोक्ताओं पर शतप्रतिशत बकाया राशि होने के कारण कनेक्शन स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिये गये हैं। (4) 21 स्थानों के विद्युत लाइन के तार चोरों द्वारा काटे गये थे, उनमें से 13 ग्रामों/स्थानों का विद्युत प्रदाय बहाल कर दिया गया है। शेष 8 ग्रामों/स्थानों के उपभोक्ताओं पर शतप्रतिशत बकाया राशि होने के कारण कनेक्शन स्थाई विच्छेदित कर दिये गये हैं। (5) जिन 20 ग्रामों का विद्युत प्रदाय आंधी-तूफान के कारण खम्बे टूटने एवं गिरने से बंद था उनमें से 13 ग्रामों का विद्युत प्रदाय बहाल किया जा चुका है। शेष 7 ग्रामों का विद्युत प्रदाय संबंधित उपभोक्ताओं पर शतप्रतिशत बकाया राशि होने के कारण कनेक्शन स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिये गये हैं। शासन के निर्देश एवं पात्रता अनुसार समस्त योग्य पाये गये खराब/जले वितरण ट्रांसफार्मर दिनांक 23.05.08 की स्थिति में बदलने को शेष नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-11/03/03/13, दिनांक 31.05.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.
24.	183	ता.प्र.सं.05 (क्र.2344) दि.21.11.2002	श्योपुर विधान सभा क्षेत्र में जले ट्रांसफार्मर बदले जाना।	(1) प्राथमिकता के आधार पर उन गांवों के ट्रांसफार्मर बदल देंगे। (2) हम उनके ट्रांसफार्मर जरूर बदल देंगे।	श्योपुर विधानसभा अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार आज दिनांक 24.05.08 तक कोई भी पात्र ट्रांसफार्मर बदलने हेतु शेष नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-11/03/03/13, दिनांक 31.05.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25.	186	परि.अता.प्र.सं.38 (क्र.1768) दि.21.11.2002	वीरपुर वितरण केन्द्र के सुपरवाईजर के विरूद्ध अवैध वसूली संबंधी प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही ।	जांचोपरांत जांच निष्कर्ष आधार पर ही कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।	वीरपुर वितरण केन्द्र पर तत्समय पदस्थ सुपरवाईजर के विरूद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही प्रगति पर है । विभागीय जांच के निष्कर्ष के आधार पर संबंधित सुपरवाईजर के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-11/03/03/13, दिनांक 19.06.2008**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
26.	189	ता.प्र.सं.19 (क्र.1062) दि. 28.11.2002	होशंगाबाद जिले के आदिवासी विकासखण्ड केसला के ग्राम सिलवानी में 33 के.व्ही. विद्युत लाईन व ट्रांसफार्मर स्थापित करने की अवधि।	यथाशीघ्र	होशंगाबाद जिले के विकासखण्ड केसला के ग्राम सिलवानी में उद्वहन सिंचाई योजना के उच्चदाव कनेक्शन हेतु कुल 8.2 कि.मी. 33 के.व्ही. लाईन का प्राक्कलन स्वीकृति कर उक्त कार्य की 8.2 कि.मी. की 33 के.व्ही. लाईन का कार्य पूर्ण करने के उपरांत दिनांक 09.01.04 को उक्त संयोजन में स्थापित मीटर एवं मीटरिंग इक्यूमेंट को कमीशन कर संयोजन को चालू कर दिया गया था । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-11/13/2003, दिनांक 08.02.2007**	कोई टिप्पणी नहीं.

नवम्बर, 2002 सत्र
चिकित्सा शिक्षा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27.	172	परि.अता.प्र.सं.63 (क्र.2690) दि. 20.11.2002	स्वीकृत मेडिकल होस्टल के निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाना।	स्वीकृति पश्चात् कार्य प्रारंभ किया जावेगा।	नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कालेज, जबलपुर परिसर में नवीन गर्ल्स हास्टल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय को वर्ष 2005-06 में आधिपत्य सौंपा जा चुका है एवं छात्रावास वर्ष 2006 से संचालित है एवं वर्तमान में भी छात्राएं आवासरत है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ -6-86/2002/2/पचपन, दिनांक 03.08.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.

नवम्बर, 2002 सत्र
जल संसाधन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28.	100	उपमुख्यमंत्री जी का वक्तव्य दि.07.11.2002	बालाघाट जिले के जामुनिया बांध टूटने से कृषकों की फसलों के हुए नुकसान के मुआवजे का भुगतान।	जैसा कि आपकी अपेक्षा है हम भुगतान कर देगें।	तहसीलदार कटंगी जिला बालाघाट के पत्र दिनांक 22.01.2015 के अनुसार वर्ष 2002 में जमुनिया बांध टूटने से 489 कृषकों की फसलों में हुई क्षति के लिए रू. 6,81,460/- तथा 1333 ग्रामवासियों के आवासों में हुई क्षति के लिए रू. 62,32,275/- का भुगतान किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **21(A)04/आश्वा/2002/ M.P.S/31/1112,** **दिनांक 01.08.2015**	कोई टिप्पणी नहीं.
29.	241	ता.प्र.सं.04 (क्र.2667) दि. 22.11.2002	थावर परियोजना नहर का निर्माण कार्य, शीघ्र पूर्ण कराये जाना।	हमारी कोशिश है कि इस मानसून के पहले पूरा कर लें।	थावर परियोजना की नहर के शेष निर्माण कार्य पूर्ण किये गये प्रतिवेदित हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **15-49/11/माध्यम/31/352, दिनांक 26.06.2012**	कोई टिप्पणी नहीं.
30.	244	परि.अता.प्र.सं.07 (क्र.327) दि.22.11.2002	होशंगाबाद जिले में सिंचाई नलकूपों के अपूर्ण खनन कार्य को पूर्ण करने हेतु राशि का आवंटन।	निर्णय उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।	सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को अनुदान देना शेष था। उन्हें उपसंचालक, कृषि जिला होशंगाबाद के स्वीकृति आदेश दिनांक 28.01.2003 एवं दिनांक 21.03.2003 द्वारा अनुदान राशि रूपये 1,21,300/- का भुगतान किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **21-01/2003/लघु/1799, दिनांक 04.08.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.
31.	245	परि.अता.प्र.सं.68 (क्र.3109) दि. 22.11.2002	कोलार परियोजना से विस्थापित ग्राम छावनी एवं चन्दनपुरा के रहवासियों को व्यवस्थापित करने के लिये शाहपुरा में बिछाई गई सीवेज लाईन को नगर निगम को हस्तांतरित किया जाना।	हस्तांतरण की कार्यवाही विचाराधीन है।	कलियासोत पुनर्वास कालोनी को नगर निगम भोपाल को हस्तांतरण करने हेतु कार्यपालन यंत्री जल संसाधन भोपाल के पत्र क्र. 804 दि. 11.02.2003 द्वारा आयुक्त नगर निगम भोपाल को लिखा जा चुका है। तत्पश्चात दि. 03.03.2003 द्वारा संबंधित अभिलेखों के साथ संपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है जिसकी जानकारी जिलाध्यक्ष भोपाल को भेजी जा चुकी है। इसके पश्चात पत्र दिनांक 18.08.03, 11.02.05, 17.06.05, 01.09.05, 03.02.06, 15.10.07, 10.01.08, 18.06.08, 05.01.10, 12.01.12 एवं 24.02.12 द्वारा स्मरण कराया गया है। आधिपत्य लेने की कार्यवाही नगर निगम भोपाल की ओर लंबित है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **761/730/2012/सा/31, दिनांक 06.12.2014**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32.	248	ध्यानाकर्षण सूचना दि. 22.11.2002	सूखे के स्थाई हल हेतु वर्षा जल रोकने के लिए स्टापडेमों के निर्माण की व्यवस्था।	1. छोटे तालाब के लिए ग्राउण्ड वाटर कंट्रोल से धनराशि लेने की हम कोशिश करेगें। 2. काम के बदले अनाज की योजना शुरू करके तालाबों एवं नहरों का सुधार करेंगे।	1. सूखे के स्थायी हल हेतु वर्षा जल रोकने हेतु स्टापडेमों के निर्माण के संबंध समय-समय पर माननीय सांसद एवं विधायकों के सुझावों के अनुसार उनके निधि कोष से तथा कलेक्टर द्वारा स्वीकृत जल संवर्द्धन से संबंधित कार्य कराये गये हैं। 2. कार्य के बदले अनाज योजना अंतर्गत नहरों एवं तालाबों के सुधार कार्य समय-समय पर कराये गये। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 15-41/04/मध्यम/31/ 513, दिनांक 20.06.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.
33.	249	ता.प्र.सं.14 (क्र.3201) दि. 29.11.2002	बहुउद्देशीय बाणसागर परियोजना के कार्य पूर्ण किया जाना।	1. आश्वस्त करना चाहूंगा कि राज्य सरकार की यह प्राथमिकता है कि जो अधूरी परियोजना है उनको समय-समय में पूरा किया जाए। 2. जन भावनाओं को शीघ्र रूप से हम सीडब्ल्यूसी के चेयरमेन तक पहुंचा देगें। 3. ऐसी कोई आंशका है तो हम तत्काल कार्यवाही करेगें और हमारी कोशिश होगी कि एजेंसी के कारण काम डिले न हो यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। 4. 18 माह में यह कार्य पूरा हो जाएगा। 5. आप निश्चित रहे कि अब इस परियोजना में ढिलाई किसी स्तर पर नहीं होगी। 6. एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार कार्यवाही करेगें। किसी स्तर पर कोताही नहीं होगी।	बाणसागर परियोजना के नहर प्रणाली के निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :- बहुउद्देशीय बाणसागर परियोजना के शीर्ष कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इस परियोजना में पूर्व में प्रस्तावित नहरों का कार्य भी पूर्णता पर है। परियोजना के गुढ़ तथा त्यौंथर उद्वहन सिंचाई योजनाओं में कार्य प्रगति पर है एवं जून, 2014 तक पूर्ण होना लक्षित है। 1,54,000 हैक्टेयर के डिजाईन बहाव सिंचाई के विरूद्ध 2012-13 रबी में 1,12,000 हैक्टेयर में सिंचाई की गई तथा रबी 2013-14 में 1,54,000 हैक्टेयर में सिंचाई किया जाना लक्षित है। जल की उपलब्धता के मद्देनजर इस परियोजना से मध्यप्रदेश राज्य में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित करने का निर्णय लिया गया है। सतना जिले में पुरवा केनाल से उप नहर निकालकर लगभग 20,000 हैक्टेयर अतिरक्ति सिंचाई क्षमता निर्मित की जा रही है तथा बाणसागर बांध से उच्चस्तरीय नहर निकालकर गुढ़, देवतालाब और हनुमना क्षेत्र में भी अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित करना प्रस्तावित है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ -21/23/02/31/MPS/ 1334, दि.30.05.2013**	कोई टिप्पणी नहीं.
34.	250	अता.प्र.सं.39 (क्र.3487) दि. 29.11.2002	मुख्य अभियंता चालन एवं रख-रखाव जल संसाधन विभाग के आरोपी उपयंत्री अब्दुल रफीक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	जांच के उपरांत समुचित कार्यवाही की जाना संभव होगा।	श्री अब्दुल रफीक खान उपयंत्री के विरूद्ध 05/02 धारा 420, 467, 468, 471 भा.द.वि. के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अपराध क्र. 05/02 धारा 467, 471 भा.द.वि. में विवेचना पूर्ण होने के पश्चात दिनांक 03.06.2008 को माननीय ए.सी.जी.एम. भोपाल न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। न्यायालय का प्रकरण क्र. 11209 है। प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग द्वारा श्री रफीक खान उपयंत्री को दिनांक 25.11.2009 से निलंबित कर कार्यपालन यंत्री लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेटस् संभाग भोपाल में संबंद्ध किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **886/आर-1073/पी-2/31, दिनांक 25.06.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.

नवम्बर, 2002 सत्र
स्कूल शिक्षा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
35.	210	अता.प्र.सं.38 (क्र.1982) दि. 21.11.2002	सीहोर जिले में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का निराकरण।	पदों के उपलब्ध होने पर अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जा सकेगा।	श्री अक्षय जैन एवं श्री राजीव सक्सेना को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 30-390/2002/20-1, दिनांक 23.01.2012**	कोई टिप्पणी नहीं.
36.	213	मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्नकाल दि. 25.11.2002	प्रदेश में संचालित अशासकीय शालाओं के छात्रों के परीक्षा फार्म भरने की तिथि बढ़ाने एवं शालाओं को मान्यता प्रदान करने हेतु विचार।	समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है और शीघ्र ही हाईकोर्ट से गाईड लाईन की स्वीकृति मिल जाएगी।	माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा निर्णित याचिका क्रमांक 203/2001 द्वारा नीतिगत रूप से भरे हुए परीक्षा आवेदन पत्र मण्डल में प्रस्तुत करने की तिथि 30 सितम्बर निर्धारित की गई। वर्ष 2002 में इस तिथि को बढ़ाने की स्वीकृति हाईकोर्ट से नहीं मिल पाई थी। प्रश्नाधीन वर्ष की परीक्षाएँ उसी वर्ष में सम्पन्न हो चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 30-113/20-03/2008, दिनांक 12.09.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.
37.	219	अता.प्र.सं.26 (क्र.2177) दि. 28.11.2002	सीहोर जिले के बालक उच्चतर माध्यमिक विद्या. क्रमांक 1 में छात्रों से वसूली गई राशि बोर्ड ऑफिस में जमा न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही।	न्यायालयीन प्रकरण 490/2002 मान. न्यायालयीन मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी सीहोर में विचाराधीन है। पारित निर्णय अनुसार संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।	प्रभारी प्राचार्य श्री विनोद कुमार परिहार/ओपन स्कूल प्रभारी मो. शकील अंसारी सहायक शिक्षक का न्यायालयीन प्रकरण 490/2002 मान. न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सीहोर में विचाराधीन है। श्री परिहार की दिनांक 22.03.2010 को निलंबन अवधि में मृत्यु हो चुकी है। मो. शकील अंसारी सहायक शिक्षक वर्तमान में निलंबित है।प्रकरण की अद्यतन स्थिति के बारे में जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला सीहोर से कार्यालय पत्र क्रमांक 5086 दिनांक 09.11.2012 द्वारा जानकारी चाही गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **654/आर नं-997/2014/20-2, दिनांक 08.05.2014** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रं. 8172/वि.स./आश्वा./2014 दि. 30.05.2014 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***(1) अमानत के खयानत संबंधी इस मामले में मो.शकील अंसारी, सहायक शिक्षक के विरूद्ध निलंबन के अतिरिक्त कोई विभागीय जांच की गई है, कोई आरोप पत्र दिया गया है या नहीं?*** ***(2) श्री शकील कब से निलंबित है। संबंधित आदेश की प्रति।*** ***(3) न्यायालीन निर्णय की अद्यतन स्थिति। मामले में O.I.C कौन है, उसके नियुक्ति आदेश की प्रति भेजें।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।**	आ.क्र. 119 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
38.	221	अता.प्र.सं.40 (क्र.2896) दि. 28.11.2002	सिवनी जिले के लखनादौन विधान सभा क्षेत्र के अपूर्ण एवं जर्जर विद्यालयों का नियमित कार्य किया जाना।	दिसम्बर 2002 तक पूर्ण करा लिया जावेगा।	अपूर्ण एवं जर्जर विद्यालय भवनों का निर्माण किया जाकर पूर्ण कराया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 30-304/2012/20-3, दिनांक 24.07.2014**	कोई टिप्पणी नहीं.
39.	222	अता.प्र.सं.47 (क्र.3076) दि. 28.11.2002	सागर संभाग के प्रत्येक प्राथमिक शाला में 02 शिक्षकों की व्यवस्था की जाना।	अतिशेष वाली शालाओं से स्थानांतरण एवं संविदा शिक्षकों के रिक्त स्थानों की पूर्ति द्वारा व्यवस्था करने का प्रयास है।	सागर संभाग अंतर्गत जिले में प्रश्नांकित अवधि 2002 में 1. सागर जिले में 1530 संचालित प्राथमिक शालाओं में से 158 शाला एक शिक्षकीय शालाओं में दो शिक्षकों की व्यवस्था की गई। 2. दमोह जिले में 835 संचालित प्राथमिक शालाओं में से 144 एक शिक्षकीय शालाओं में युक्तिकरण/स्थाना./ संविदा शिक्षक भर्ती द्वारा व्यवस्था की गई। 3. पन्ना जिले में 906 प्राथमिक शालायें संचालित थी जिनमें से 201 शालाये एक शिक्षकीय थी जिनमें संविदा शिक्षकों की नियुक्ति/अतिशेष वाली शालाओं से एवं स्थानांतरण द्वारा व्यवस्था की गई। 4. छतरपुर जिले में 870 प्राथमिक शालायें संचालित थी। जिनमें से 132 शालायें एक शिक्षकीय थी उक्त सभी एक शिक्षकीय शालाओं में संविदा शाला शिक्षक भर्ती युक्तिकरण, स्थानांतरण द्वारा शिक्षकों की व्यवस्था की गई। 5. टीकमगढ़ जिले में 970 प्राथमिक शालाये संचालित थी जिनमें से 151 शालाये एक शिक्षकीय थी जिनमें संविदा शिक्षकों की नियुक्ति/अतिशेष वाली शालाओं से एवं स्थानांतरण द्वारा व्यवस्था की गई। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **आर-908/1643/2015/20-2, दिनांक 07.07.2015**	कोई टिप्पणी नहीं.

नवम्बर, 2002 सत्र
सहकारिता विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40.	251	ता.प्र.सं.02 (क्र.702) दि. 11.11.2002	1. बरघाट जिला सिवनी की सहकारी संस्थाओं के चुनावों की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही। 2. आष्टा सोसायटी के चुनाव कराये जाने की अवधि।	1. हम पूरा प्रयास करके शीघ्र निराकरण करायेंगे और इसके लिये अगर देरी हुई है या विभाग की ओर से हमारे कर्मचारियों ने पैरवी ठीक प्रकार से नहीं की है तो इसका हम परीक्षण करायेंगे और अगर जानबूझकर लापरवाही होती है तो अवश्य कार्यवाही करेंगे। 2. (अ) जितनी जल्दी होगा चुनाव करा दिये जायेंगे। (ब) चुनाव प्रक्रिया शीघ्र चालू की जायेगी। (स) दूसरे के तत्काल चुनाव करवायेंगे अगर इसमें लापरवाही बरती गई है जानबूझकर अगर जांच में ये सिद्ध हो जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।	कार्य. आदेश दि.10.02.02 से निर्वा 3.3.03 में विलंब के संबंध में जांच आदेशित की गई थी। वर्ष 1989 से जांच प्रस्तुती दिनांक तक सिवनी जिले में पदस्थ सहायक पंजीयकों को निर्वाचन कार्य में समय रहते प्रकरण की अद्यतन जानकारी रखने तथा संस्था पुनर्गठन के आधार पर चुनाव स्थगित रखने का दोषी बताया गया है। प्रश्नाधीन दोनों संस्थाओं के समिति सेवकों को भी समान प्रकार के आरोपों का दोषी बताया गया है। धारनाकलां/ आष्टा के निर्वाचन दिनांक 03.03.2003 को पूर्ण हो चुके है। दोषी अधिकारियों से पत्र दिनांक 17.01.2003 के द्वारा स्पष्टीकरण मांगे गये है उनका आवश्यक उत्तरदायित्व निर्धारण कराया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 10-276/2002/15-1, दिनांक 13.06.2003** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 27373/वि.स./आश्वा./2005, दिनांक 20.12.2005 एवं 9614/वि.स./आश्वा./2006, दिनांक 22.03.2006 द्वारा पूर्ण/अद्यतन जानकारी चाही थी तत्पश्चात् पुन: पत्र क्र.3465/वि.स./आश्वा./2008, दि.26.02.2008 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***दोषी संस्थाओं के समिति सेवकों को भी समान प्रकार के आरोपी का दोषी बताया गया है। अत: दोषियों के विरूद्ध आज दिनांक तक क्या कार्रवाई की गई? तत्काल जानकारी भेजें।*** विभाग की ओर से जानकारी न आने पर इस सचिवालय से पत्र दिनांक 19.04.2011, 26.11.2012 एवं 27.04.2013 को स्मरण पत्र भेजे गये, किन्तु जानकारी अप्राप्त रही।	**परिशिष्ट-1 के अनुसार**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
41.	252	ता.प्र.सं.03 (क्र.2350) दि. 26.11.2002	1. महाराणा प्रताप मत्स्योद्योग सहकारी संस्था बैरसिया को परिसमापन की अवधि में नियम विरूद्ध मत्स्य पालन हेतु पट्टे दिया जाना। 2. संयुक्त पंजीयक द्वारा एम.पी. ट्रिब्युनल के आदेश को छिपाकर अवैध रूप से मरहेटी सहकारी समिति को दिये गये स्टे एवं पट्टों की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही । 3. दिये गये पट्टे को निरस्त कर दोषी व्यक्तियों के उपरोक्त प्रकरणों में विधानसभा में गलत जानकारी दिलाने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही।	1. पूरे तथ्यों की जानकारी लेकर बैरसिया नगर पंचायत को लिखेंगे अगर उन्होनें पंजीयन निरस्ती के दौरान दिया है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये उनसे आग्रह करेंगे । 2. यदि कोई गलत जानकारी आई होगी तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे । 3. यदि कोई गलत जानकारी आई तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।	कार्यालय नगर पंचायत बैरसिया जिला भोपाल से जानकारी प्राप्त की गई । प्रदत्त जानकारी अनुसार संस्था का पंजीयन निरस्त नहीं हुआ था । संस्था का ठेका मत्स्य कृषक विकास अभिकरण जिला भोपाल की अनुशंसा के आधार पर तालाब की लीज (पट्टे) पर विधिवत प्रक्रिया आरंभ कर समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित की गई एवं प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर अभिमत पात्रता के आधार सहित उप संचालक मत्स्य उद्योग भोपाल से मांगा गया था उप संचालक द्वारा पत्र क्रमांक क्यू-74 दिनांक 28.11.01 से अभिमत प्रदान करते हुए महाराणा प्रताप मत्स्य उद्योग बैरसिया को सबसे पुरानी क्रियाशील संस्था निरूपित करते हुए तीन वर्ष पट्टे पर देने की अनुशंसा की गई थी, तदनुसार ही परिषद की बैठक दिनांक 29.12.01 में उक्त तालाब संस्था से अनुबंध निरूपादित कर पट्टा दिया गया । अत: उक्त स्थिति के अनुसार किसी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । 2. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल द्वारा एम.पी. ट्रिब्युनल के आदेश को छिपाकर स्टे नहीं दिया गया था । एम.पी. ट्रिब्युनल का आदेश म.प्र. मत्स्य महासंघ में प्रतिनिधि से अपात्रता के संबंध में था एवं संयुक्त पंजीयक द्वारा संस्था के परिसमापन के विरूद्ध स्थगन दिया गया था । इस प्रकार कोई गलत जानकारी नहीं दी गई । अत: किसी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न ही नही उठता । 3. दिया गया पट्टा जनपद पंचायत सीहोर के आदेश क्रमांक 241 दिनांक 14.02.2003 द्वारा निरस्त किया गया । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 10-316/2002/15-1, दिनांक 08.05.2009**	कोई टिप्पणी नहीं.

नवम्बर, 2002 सत्र
राजस्व विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
42.	284	ता.प्र.सं.17 (क्र.733) दि. 07.11.2002	महाराष्ट्र पूर्णा प्रोजेक्ट के अंतर्गत आदिवासियों की डूब में आई भूमि का मुआवजा भुगतान निश्चित समयावधि।	प्रकरण में अवार्ड पारित कर मुआवजा वितरण की कार्यवाही की जायेगी।	महाराष्ट्र पूर्णा प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिला बैतूल के ग्राम-बालखेडा, बोथियामाल, अंधेरबावडी, बेलकुण्ड एंव सोनोरा की कुल 292.271 हेक्टेयर भूमि अर्जन हेतु दिनांक 06.09.2005 को अवार्ड पारित किया जाकर कुल 129 भूमि स्वामियों को मुआवजा राशि का वितरण किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 20/173/2010/सात-2ए, दिनांक 08.08.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
43.	286	परि.अता.प्र.सं.07 (क्र.343) दि. 14.11.2002	बीना में खसरा नं. 482 एवं 465 के विवाद के संबंध में की गई जांच पर कार्यवाही।	कलेक्टर, सागर द्वारा जांच पूर्ण की जाकर प्रतिवेदन शासन को भेजा गया है जिसका परीक्षण किया जा रहा है।	प्रकरण का परीक्षण किया गया । यह प्रकरण भूमि की अदलाबदली का है । ग्राम बीना-इटावा जिला सागर की वर्ष 1958-59 में हुई चकबन्दी में कलेक्टर सागर द्वारा भूमि खसरा नं. 482 रकबा 4.70 एकड़ पं. बापू सखाराम आचवल को उनकी भूमि के बदले में दी गई थी, लेकिन बाद में वही भूमि तत्कालीन कलेक्टर सागर द्वारा सिंधी एसोसियेशन को आवंटित कर दी गई तथा श्री आचवल को खसरा नंबर 465 रकबा 4.70 एकड़ का आवंटन किया गया, जिसके कारण विवाद उत्पन्न हुआ। दोनों पक्ष इस मामले में न्यायालय में गये और अंत में न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि में श्री आचवल का अधिकार होने का निर्णय दिया गया और वर्तमान में उक्त भूमि श्री आचवल एवं उनके वारिसों के ही कब्जे में है। अत: इस पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। जहां तक खसरा क्रमांक 465 रकबा 4.70 एकड़ का संबंध है यद्यपि इस भूमि पर भू-स्वामी के रूप में श्री आचवल का नाम दर्ज है। लेकिन उस पर इनका कभी भी कब्जा नहीं रहा बल्कि उस पर श्री बापूलाल पिता कुंदनलाल सराफ का अतिक्रामक की हैसियत से कब्जा है। अत: इस शासकीय भूमि को रिक्त कराने के लिए कलेक्टर, सागर को निर्देश दिये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 210/134/2002/सात/ नजूल, दिनांक 08.08.2011** कलेक्टर जिला सागर द्वारा उल्लेख किया है कि तहसील बीना अन्तर्गत ग्राम इटावा बीना प.ह.नं. 51 की भूमि ख.नं. 482 एवं 465 के विवाद के संबंध में चाही गई जानकारी निम्नानुसार है:- 1. ग्राम इटावा ब.नं. 7 प.ह.नं. 21 (नया 51) रा.नि.म. व तहसील बीना जिला सागर के चकबंदी प्र.क्र. 1अ/40 सन् 1958-59 दिनांक 30.09.1959 के सम्पन्न हुई। जिसमें प्राप्त अधिकार अभिलेख (प्रपत्र-अ) वर्ष 1959-60 में खाता क्र. 217 पर बापू सखाराम पिता रघुनाथ राव के नाम खसरा नं. 482 रकवा 4.70 एकड़ भूमिस्वामी दर्ज है एवं खाता क्र. 228 पर हरलाल पिता गुट्टे ग्राम नोकर के नाम खसरा नं. 465 रकवा 4.70 एकड़ दर्ज है। 2. कलेक्टर सागर के तबादला प्र.क्र. 79/अ/19 आदेश दि. 28.07.1960 स.प्र.क्र. 147, 148 दिनांक 01.01.1961 द्वारा अधिकार अभिलेख के खाता क्र. 217 पर बापू सखाराम के नाम दर्ज खसरा नं. 482 निरस्त कर 465 दर्ज किया गया एवं खाता क्र. 218 पर सिंधी एसोशिएसन के नाम खसरा नं. 482 दर्ज किया गया।	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					3. कलेक्टर सागर के उपरान्त तबादला आदेश के विरूद्ध बापू सखाराम आचवल ने मननीय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 खुरई में वाद प्रस्तुत किया जिसमें प्र.क्र.102/अ/63 आदेश दिनांक 10.09.1968 में तबादला मान्य न करते हुए बापू सखाराम को स्वामित्व का माना गया। तदनुपरान्त माननीय द्वितीय अति. जिला सत्र न्यायाधीश के प्र.क्र. 14/ए/69 आ. दिनांक 26.08.1982 में भी सिंधी एसोशियन का स्वामित्व नहीं माना गया है। 4. बापू सखाराम आचवल के वारसान उदय सिसिर अभय अनंत पिता दत्तात्रय राव, गोपाल राव पिता सखाराम श्रीकांत रविकांत प्रशांत राव पिता मनोहर राव, पदमाबाई बेवा मनोहर राव के नाम दर्ज भूमि ख.नं. 482 का डायवर्सन अनुविभागीय अधिकारी बीना के प्र.क्र. 13अ/2 वर्ष 1995-96 आ. दिनांक 19.01.1996 द्वारा किया गया। उक्त खातेदारों ने ख.नं. 482 विभिन्न व्यक्तियों को विक्रय कर दिया गया है। क्रेताओं ने उक्त भूमि पर चैतन्य धाम कालोनी निर्मित कर दी है। उपरोक्त जांच में तहसीलदार बीना द्वारा प्र.क्र. 7/अ/6 वर्ष 2006-07 द्वारा ख.नं.465/1 रकवा 1.275 है एवं ख.नं. 465/2 रकवा 0.627 हे0 कुल रकवा 1.902 हे0 (4.70 एकड़) शासकीय मद में दर्ज की गई। इस प्रकार उपरोक्त जांच में ख.नं. 482 के अन्तर्गत बापू सखाराम (वारसाना) के स्वामित्व में कोई विवाद नहीं है एवं ख.नं. 465 शासकीय दर्ज किया जा चुका है। अत: इस प्रकार उपरोक्त ख.नं. 465 एवं 482 के संबंध में हुए विवाद का निराकरण माननीय सिविल न्यायालय से निर्णीत हो चुका है। तदनुसार ही अभिलेख में दर्ज हो गये हैं। वर्तमान में उपरोक्त खसरा नम्बर को लेकर कोई विवाद नहीं है। अब अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 3/ग्राभूप्र-आश्वासन/2016/159, दिनांक 13.01.2016**	
44.	287	परि.अता.प्र.सं.20 (क्र.768) दि. 14.11.2002	झाबुआ जिले की तहसीलों में नायब तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति।	नियुक्ति हेतु प्रक्रिया प्रचलित है।	झाबुआ जिले में वर्तमान में केवल तीन नायब तहसीलदार के पद रिक्त है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। सेवानिवृत्त पदोन्नति के कारण भी पद रिक्त होते हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 11-76/2002/सात/शा-4ए/1660, दिनांक 16.06.2005**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
45.	289	अता.प्र.सं.03 (क्र.63) दि. 14.11.2002	प्रकरण क्रमांक 1 अ/90 बी (3) 1999-2000 के संबंध में अतिशेष घोषित भूमि का शासन द्वारा शीघ्र कब्जा लिया जाना।	प्रकरण में अंतिम आदेश पारित होने के पश्चात अतिशेष घोषित भूमि का कब्जा लेने की कार्यवाही संभव हो सकेगी।	रा.प्र.क्र. 1 अ/90 बी(3) वर्ष 99-2000 पक्षकार म.प्र. शासन विरूद्ध सतीष कुमार पटेल वगैरह अपर कलेक्टर, न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण में अनावेदकों/ धारकों का जवाब एवं तर्क सुनवाई उपरांत अंतिम आदेश पारित किया जाने के उपरांत ही अतिशेष घोषित भूमि का कब्जा लिये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 20-357/2002/सात-2ए, दिनांक 19.06.2003** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 14688/वि.स./आश्वा./2005, दिनांक 11.01.2005 एवं पत्र दिनांक 24.09.2009, 23.11.2012, 29.04.2013 द्वारा अद्यतन जानकारी चाही गई। लगातार पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक जानकारी अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
46.	292	ता.प्र.सं.05 (क्र.3039) दि. 22.11.2002	मुंगावली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम अकोदिया के पटवारी द्वारा दायर रजिस्टर में हेराफेरी (काट छांट) करने संबंधी प्रकरण की जांच एवं दोषी के विरूद्ध कार्यवाही।	1. अभी जांच विचाराधीन है। 2. अगर रिकार्ड में ऐसा पाया जावेगा और वह इस प्रकार के अपराध की परिधि में आयेगा तो निश्चित रूप से ऐसी कार्यवाही की जायेगी। 3. यदि जांच में यह पाया जाता है कि उसने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर यह काम किया है और उसके बाद यदि अपराध की श्रेणी में आता है तो निश्चित रूप से उसके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। 4. निश्चित रूप से दिखावा लेगे और अगर ऐसा होगा तो कार्यवाही भी करेगें वैसे जहां निलंबित करते है वहां पदस्थ नहीं करते है अगर उसी हल्के पदस्थ है तो स्थानांतरित कर देंगे।	ग्राम अकोदिया के तत्कालीन पटवारी श्री शरद शर्मा को निलंबित किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली द्वारा दोषी पटवारी को म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण तथा अपील नियम 1966 के तहत परिनिंदा के दण्ड से दण्डित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **11/3611/2012/सात/4बी, दिनांक 19.08.2013**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
47.	296	ता.प्र.सं.17 (क्र.1341) दि. 22.11.2002	जे.बी.एल. उद्योग रतलाम के श्रमिकों को बकाया राशि का भुगतान दिए जाने की अवधि।	शेष राशि रूपये 35.64 लाख की राशि इसी माह में जमा होकर श्रमायुक्त इंदौर को भेजी जावेगी।	श्रम पदाधिकारी रतलाम को चेक क्रमांक एस.बी.-00/192/633709, दि. 23.11.2002 से रूपये 37.00 लाख की राशि भेजी गई। उनके द्वारा 108 श्रमिकों को उपातरित आर.आर.सी. के अनुसार माह अप्रैल 97 से दिसम्बर 97 तक की राशि रूपये 3601192/- का भुगतान दि. 25.11.2002 को किया गया है। मान. उच्च न्यायालय बैंच इंदौर को डब्लू.पी.क्रं. 1852/02 में पारित आदेश दिनांक 02.12.02 से अन्य आदेश तक आगामी कार्यवाही स्थगित की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 17-22/2002/सात-5, दिनांक 07.02.2003** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 20238/वि.स./आश्वा./2009, दिनांक 24.09.2009, 23.11.2012, 29.04.2013 के द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***मा.उच्च न्यायालय बैंच, इंदौर द्वारा पारित आदेश के बाद की अद्यतन जानकारी।*** लगातार पत्राचार के बावजूद आज दिनांक जानकारी अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
48.	297	परि.अता.प्र.सं.19 (क्र.1351) दि. 22.11.2002	जबलपुर जिले में नगर भूमि सीमा अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान किया जाना।	किंतु नियमानुसार मुआवजा निर्धारण एवं वितरण किया जावेगा।	नगर भूमि सीमा अधिनियम-1976 के तहत जबलपुर शहर में 1117 प्रकरणों में भूमि का कब्जा लिया गया है कब्जा प्राप्त भूमि के प्रकरणों में नियमानुसार मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही की जा चुकी है। इसमें 11 प्रकरणों से संबंधित भूमि स्वामियों द्वारा मुआवजा भुगतान लेने में सहमति के फलस्वरूप उन्हें बांड्स एवं नगद राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष 1106 प्रकरणों से संबंधित अनेक भूमि स्वामियों द्वारा मुआवजा राशि का निर्धारण बाजार मूल्य की तुलना में अत्यधिक कम होने से मुआवजा राशि लेने में सहमति नहीं दी गई है, इसी कारण से भुगतान नहीं हो पा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **20-144/2009/सात/2ए, दिनांक 14.10.2010** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 23184/वि.स./आश्वा./2012, दिनांक 23.11.2012, 29.04.2013 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***मुआवजा राशि निर्धारण के बाद भुगतान किया अथवा नहीं? अद्यतन जानकारी।*** लगातार पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक जानकारी अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
49.	300	अता.प्र.सं.67 (क्र.2957) दि. 22.11.2002	भिण्ड जिले की तहसील गोहद के ग्राम अधिकारी खुर्द पटवारी हल्का नं. 77 चरनोई जमीन के पट्टे वितरण में अनियमितताओं संबंधी शिकायतों पर कार्यवाही ।	जांच पूर्ण होने पर समुचित कार्यवाही की जा सकेंगी ।	प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया जाकर न्यायाधीन है । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 20-423/2003/सात-2ए, दिनांक 09.01.2004**	कोई टिप्पणी नहीं.
50.	303	परि.अता.प्र.सं.11 (क्र.3003) दि. 29.11.2002	कोलार परियोजना जिला सीहोर के टेल माइनर से प्रभावित ग्राम नंदगांव के कृषकों को भूमि के भू-अर्जन राशि का भुगतान शीघ्र कराया जाना।	भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा । मुआवजे की दर भू-अर्जन अधिनियम 1894 में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाएगी ।	कोलार परियोजना जिला सीहोर की टेल माईनर से प्रभावित ग्राम नंदगांव के 23 कृषकों को निजी भूमि रकबा 8.393 हे. से संबंधित भू-अर्जन प्रकरण क्र. 4/अ82/01-02 में समस्त भू-अर्जन कार्यवाही पूर्ण कर दिनांक 15.10.04 को अर्जित भूमि की दर 71710 रूपये प्रति एकड़ सिंचित व 47807 रू. प्रति एकड़ असिंचित निर्धारित करते हुए कुल राशि रू. 3734740/- का अवार्ड पारित किया जा चुका है । सभी संबंधित कृषकों को उनका मुआवजा राशि का पूर्ण रूपेण भुगतान किया जा चुका है। प्रकरण में मुआवजा भुगतान से कोई कृषक शेष नहीं है । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **1271/1898/09/सात//2ए, दिनांक 24.06.2009**	कोई टिप्पणी नहीं.
51.	305	अता.प्र.सं.14 (क्र.2055) दि. 29.11.2002	सिंगरोली क्षेत्र के विद्यालयों में जाति प्रमाण पत्र वितरण की कार्यवाही पूर्ण की जाना ।	जी हां । वितरण की कार्यवाही भी शीघ्र पूरी की जावेगी ।	प्रश्न दिनांक तक 53 विद्यालयों में 2002-03 में कुल 11526 प्रमाण-पत्र वितरित किये गये हैं । उक्त अवधि के अब कोई भी प्रमाण-पत्र वितरण हेतु शेष नहीं हैं । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 575/2007/सात-4ए, दिनांक 29.08.2009**	कोई टिप्पणी नहीं.
52.	306	अता.प्र.सं.36 (क्र.3413) दि. 29.11.2002	दतिया गिर्द में औद्योगिक विभाग हेतु सुरक्षित रखी गई भूमि को अवैध कब्जाधारियों से वापस लेकर उद्योग विभाग को देने तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही ।	इसका निपटारा गुण-दोष के आधार पर करने के उपरांत ही दोषी कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही एवं औद्योगिक विभाग को कब्जा देने बावत कार्यवाही की जा सकेगी ।	तहसीलदार दतिया की रिपोर्ट के अनुसार दतिया-रामनगर के सर्वे नंबर 382/02, रकबा 1.943 हेक्टेयर भूमि उद्योग विभाग हेतु सुरक्षित रखी गई थी । वर्ष 1980-81 से वर्ष 1984-85 के खसरे में उपरोक्त भूमि पर श्री मघनमल वल्द बीजलमल सिंधी साकिन दतिया के नाम की अनाधिकृत रूप से काबिज रहने की प्रविष्टि है । इस संबंध में पटवारी द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने हेतु प्रकरण क्रमांक 384 बी-121/97-98 कायम किया एवं इस प्रकरण में म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 110 एवं 190 के अंतर्गत वादग्रस्त भूमि पर श्री मोहनलाल, रमेशचन्द्र वल्द मघनमल सिंधी साकिन दतिया को भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किए । उपरोक्त संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर प्रकरण क्रमांक 384 बी-121/97-98 में पारित आदेश दिनांक 20.04.98 को स्वमेव निगरानी में लिया गया है। जिसका प्रकरण क्रमांक 6/निगरानी/2002-03 है । इस प्रकार प्रकरण में न्यायालयीन कार्यवाही प्रचलित है । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 21-152/2002/सात-नजूल, दिनांक 10.12.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
53.	307	अता.प्र.सं.83 (क्र.3883) दि. 29.11.2002	तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ में वितरित पट्टों के रिकार्ड में विधिवत् रजिस्टर में दर्ज न किए जाने संबंधी प्रकरण पर लापरवाही करने वालें के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच के निष्कर्षों के आधार पर तथा यथास्थिति उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।	कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा उल्लेख किया गया है कि टीकमगढ़ जिले की तहसील निवाड़ी में वितरित पट्टों का रिकार्ड विधिवत रजिस्टर में दर्ज न किये जाने संबंधी प्रकरण की जांच कराई गई । जांच निष्कर्षो के अनुसार तहसील निवाड़ी में पदस्थ प्रमोद कुमार वर्मा तत्कालीन अतिरिक्त प्रवाचक उक्त लापरवाही हेतु जिम्मेदार पाया गया था। श्री वर्मा को तत्सयम कारण बताओं नोटिस दिया गया था। नोटिस के जवाब में संबंधित श्री वर्मा द्वारा वितरित पट्टों को विधिवत रजिस्टर में दर्ज किया जाकर रजिस्टर प्रस्तुत किया था, ऐसी स्थिति में उनके द्वारा तैयार रजिस्टर एवं नोटिस के जवाब में संतुष्ट होते हुए प्रस्तावित कार्यवाही तत्समय समाप्त कर दी गई थी। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-3/ग्राभूप्र-आश्वासन/2016/714, दिनांक 04.02.2016**	कोई टिप्पणी नहीं.

नवम्बर, 2002 सत्र
ग्रामोद्योग विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
54.	271	परि.ता.प्र.सं.11 (क्र.432) दि. 14.11.2002	हाथ करघा संघ रीवा के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की की गई जांच एवं उस पर कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही की जा रही है।	जांच प्रतिवेदन पर विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गई:- (1) श्री एन.पी. तिवारी, शाखा प्रबंधक, पावरलूम बुनकर संघ, रीवा को दिनांक 08.12.2000 से निलंबित किया गया था। (2) दोषी फर्म गिन्नी गारमेंट की पावरलूम संघ की सदस्यता समाप्त की गई। (3) राशि रू. 12,16,7021/- के गबन के संबंध में संबंधित दस्तावेज तत्समय उपलब्ध न होने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी थी अब गबन के संबंध में संयुक्त संचालक हथकरघा से परीक्षण कराया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 5-43/2002/52-1, दिनांक 25.01.2003** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 15355/वि.स./आश्वा./2003, दिनांक 17.06.2003 एवं पत्र दिनांक 27.10.2004, 22.03.2006, 13.04.2011, 26.11.2012, 27.04.2013 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***राशि रू.12,16,702/- गबन की गई राशि का परीक्षण किया अथवा नहीं?*** लगातार पत्राचार के बावजूद आज दिनांक जानकारी अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

स्थान :- भोपाल
दिनांक :- 17 मार्च, 2016

राजेन्द्र पाण्डेय
सभापति
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

:: परिशिष्ट - 1 ::

विशेष टिप्पणी/अनुशंसा

नवम्बर, 2002 सत्र के आश्वासनों पर आधारित इस प्रतिवेदन में 12 विभागों के 54 आश्वासन सम्मिलित हैं, जिनमें से अधिकांश आश्वासनों की पूर्ति विभागों द्वारा भी की गई है, किन्तु समिति द्वारा किये गये परीक्षणों से यह स्थिति सामने आई है कि लगभग 13 वर्ष से अधिक की समयावधि व्यतीत हो जाने के बावजूद 08 विभागों के परिशिष्ट - 2 में दर्शित 15 मामलों में विभागों की ओर से पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हुई। समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि लगभग ये सभी मामले पद के दुरूपयोग/शासकीय नियमों का उल्लंघन/आर्थिक अनियमितताएं तथा भ्रष्टाचरण से संबंधित हैं। जिन पर समय रहते विभागों को कार्रवाई करना थी। मामलों पर विभागीय उदासीनता को देखते हुए यह स्पष्ट है कि दोषियों को बचाने की दृष्टि से ही यह सोची समझी उदासीनता बरती गई है। फलस्वरूप कतिपय दोषी अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और कुछ की मृत्यु भी हो चुकी है। मामलों में समय निकालकर दोषियों को बचाने का यह उपक्रम निश्चित ही निंदनीय है और ऐसे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा भी है।

सदन में माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत मामलों पर माननीय मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों पर कार्रवाई न होने से शासन के साथ-साथ जन सामान्य को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपरिमित हानि होती है और जनता में गलत संदेश भी जाता है। समिति की दृष्टि में ऐसी प्रवृत्ति निश्चित रूप से आपराधिक होकर दण्डनीय है एवं प्रशासनिक दृष्टि से भी ऐसी प्रवृत्ति के शमन हेतु अत्यधिक गंभीरता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। समिति का मानना है कि विलंब से किया गया न्याय, अन्याय से भी बढ़कर होता है।

विभागीय जांच की प्रक्रिया तथा निश्चित समयावधि में उसके निराकरण के संबंध में शासन के स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं इसके बावजूद प्रशासनिक व्यवस्था की यह गंभीर त्रुटि है कि ऐसे लंबित मामलों की समीक्षा की कोई सतत् व्यवस्था विभागों द्वारा तय नहीं की गई है। इस वजह से मामले वर्षो तक लंबित रहते हैं और दोषी दण्डित नहीं हो पाते। इससे सामान्य रूप में यह संदेश जाता है कि व्यवस्था को सुविधानुसार अपने अनुकूल किया जा सकता है, इस वजह से विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों में दोषियों को बचाने की आपराधिक प्रवृत्ति में निरन्तर वृद्धि होती रहती है।

समिति की यह मंशा है कि विभागों में ऐसे मामलों के, शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निश्चित समयावधि में, निराकरण हेतु पृथक् रूप से प्रकोष्ठ बनाये जाएं, जिनकी समीक्षा विभागाध्यक्ष स्तर पर प्रति माह हो ताकि दोषियों को तय समयावधि में दण्डित किया जा सके एवं निर्दोष के स्वत्वों की भी रक्षा हो सके।

इसके साथ ही समिति अनुशंसा करती है कि परिशिष्ट में दर्शित विभागीय जांच तथा वसूली आदि के गंभीर मामलों का निराकरण अधिकतम तीन माह में करके समिति को सूचित किया जाए।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि मामलों में विलंब के दोषी भी अवश्य दण्डित हों।

:: परिशिष्ट - 2 ::

अनिर्णीत प्रकरण

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

आश्वासन क्रमांक	13
आश्वासन क्रमांक	25

वन विभाग

आश्वासन क्रमांक	29
	40

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

आश्वासन क्रमांक	119
आश्वासन क्रमांक	121
आश्वासन क्रमांक	126
आश्वासन क्रमांक	138

ऊर्जा विभाग

आश्वासन क्रमांक	186

स्कूल शिक्षा विभाग

आश्वासन क्रमांक	219

सहकारिता विभाग

आश्वासन क्रमांक	251

राजस्व विभाग

आश्वासन क्रमांक	289
आश्वासन क्रमांक	296
आश्वासन क्रमांक	297

ग्रामोद्योग विभाग

आश्वासन क्रमांक	271

:: परिशिष्ट - 3 ::

नवम्बर 2002, सत्र के पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित आश्वासनों की सूची

क्रमांक	आश्वा.क्रं.	विभाग का नाम	प्रकरण की स्थिति	विधान सभा अवधि
1.	01	नगरीय प्रशासन एवं विकास	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
2.	02	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
3.	04	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
4.	05	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
5.	06	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
6.	08	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
7.	09	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
8.	10	"	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
9.	11	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
10.	12	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
11.	14	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
12.	15	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
13.	17	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
14.	18	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
15.	19	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
16.	20	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
17.	21	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
18.	22	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
19.	23	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
20.	24	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
21.	26	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
22.	27	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
23.	28	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
24.	30	वन	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
25.	31	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
26.	32	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
27.	33	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
28.	34	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
29.	35	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
30.	36	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
31.	37	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
32.	38	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
33.	39	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
34.	41	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
35.	42	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
36.	43	गृह	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
37.	44	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
38.	45	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
39.	46	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
40.	47	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
41.	48	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
42.	49	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
43.	51	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
44.	52	गृह	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
45.	53	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
46.	54	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
47.	55	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
48.	56	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
49.	57	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

50.	58	गृह	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
51.	59	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
52.	60	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
53.	61	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
54.	62	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
55.	63	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	ग्यारहवां प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
56.	64	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
57.	66	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
58.	67	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
59.	68	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
60.	69	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
61.	70	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
62.	71	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
63.	72	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
64.	73	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
65.	75	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
66.	76	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
67.	77	लोक स्वास्थ्य एवं परि. कल्याण	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
68.	78	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
69.	79	"	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
70.	80	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
71.	81	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
72.	82	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
73.	83	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
74.	84	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
75.	85	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
76.	86	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
77.	87	"	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
78.	88	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
79.	90	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
80.	91	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
81.	92	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
82.	93	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
83.	94	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
84.	97	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
85.	98	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
86.	99	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
87.	101	कृषि	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
88.	102	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
89.	103	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
90.	105	कृषि	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
91.	106	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
92.	107	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
93.	108	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
94.	109	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
95.	111	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
96.	112	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
97.	113	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
98.	114	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
99.	115	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
100.	116	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
101.	117	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
102.	118	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
103.	120	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

104.	124	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
105.	322	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
106.	127	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
107.	128	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
108.	130	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
109.	131	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
110.	132	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
111.	133	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
112.	134	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
113.	137	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
114.	139	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
115.	140	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
116.	141	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
117.	142	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
118.	143	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
119.	144	आदिम जाति कल्याण	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
120.	145	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
121.	146	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
122.	147	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
123.	148	"	ग्यारहवीं प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
124.	149	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
125.	150	अनुसूचित जाति कल्याण	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
126.	151	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
127.	152	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
128.	153	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
129.	154	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
130.	155	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
131.	156	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
132.	157	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
133.	158	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
134.	159	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
135.	160	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
136.	161	अनुसूचित जाति कल्याण	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
137.	162	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
138.	163	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
139.	164	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
140.	165	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
141.	166	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
142.	167	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
143.	168	"	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
144.	169	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
145.	170	चिकित्सा शिक्षा	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
146.	171	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
147.	173	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
148.	174	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
149.	175	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
150.	176	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
151.	177	ऊर्जा	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
152.	178	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
153.	180	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
154.	181	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
155.	182	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
156.	184	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
157.	185	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

158.	187	ऊर्जा	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
159.	188	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
160.	190	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
161.	191	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
162.	192	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
163.	193	"	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
164.	194	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
165.	195	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
166.	196	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
167.	197	स्कूल शिक्षा	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
168.	198	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
169.	199	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
170.	200	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
171.	201	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
172.	202	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
173.	203	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
174.	204	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
175.	205	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
176.	206	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
177.	207	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
178.	208	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
179.	209	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
180.	211	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
181.	212	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
182.	214	स्कूल शिक्षा	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
183.	215	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
184.	216	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
185.	217	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
186.	218	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
187.	220	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
188.	224	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
189.	225	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
190.	226	जल संसाधन	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
191.	227	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
192.	228	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
193.	229	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
194.	230	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
195.	231	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
196.	232	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
197.	233	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
198.	234	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
199.	235	"	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
200.	236	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
201.	237	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
202.	238	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
203.	239	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
204.	240	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
205.	242	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
206.	243	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
207.	246	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
208.	247	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
209.	253	सहकारिता	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
210.	254	मछली पालन	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
211.	255	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

212.	256	मछली पालन	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
213.	257	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
214.	258	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
215.	259	परिवहन	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
216.	260	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
217.	261	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
218.	262	आवास एवं पर्यावरण	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
219.	263	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
220.	264	नर्मदा घाटी	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
221.	265	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
222.	266	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
223.	267	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
224.	268	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
225.	269	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
226.	270	"	छब्बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
227.	272	नर्मदा घाटी	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
228.	273	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
229.	274	उच्च शिक्षा	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
230.	275	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
231.	276	सामान्य प्रशासन	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
232.	277	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
233.	278	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
234.	279	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
235.	280	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
236.	281	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
237.	282	वित्त	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
238.	283	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
239.	285	राजस्व	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
240.	288	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
241.	290	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
242.	291	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
243.	293	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
244.	294	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
245.	295	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
246.	298	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
247.	299	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
248.	301	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
249.	302	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
250.	304	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
251.	308	जेल	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
252.	309	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
253.	310	पशुपालन	ग्यारहवां प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
254.	311	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
255.	312	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
256.	313	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
257.	314	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
258.	315	जनशक्ति नियोजन एवं तकनीकी	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
259.	316	भोपाल गैस त्रासदी	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
260.	317	खेल एवं युवक कल्याण	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
261.	318	महिला एवं बाल विकास कल्याण	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
262.	319	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
263.	320	वाणिज्य कर	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
264.	321	"	नवम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा